



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1721]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2014/भाद्र 11, 1936

No. 1721]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2014/BHADRA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2014

का.आ. 2204(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 248, 249 और 250 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
"248	310ए	सिक्किम राज्य में ताशीविउ प्वाइंट के निकट रारा-10 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फोडोंग को जोड़ने वाला और मांगन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
249	710	सिक्किम राज्य में मेल्ली के निकट रारा-10 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मानपुर, नामची, दमथांग को जोड़ने वाला और रारा-510 पर तारकू पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
250	510	सिक्किम राज्य में सिंगथाम के निकट रारा-10 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तारकू, रावंगला, लेगशिप को जोड़ने वाला और गयालसिंग पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-9)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1089(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2014

S.O. 2204(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 248, 249 and 250 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“248	310A	The highway starting from its junction with NH-10 near Tashiview point connecting Phodong and terminating at Mangan in the State of Sikkim.
249	710	The highway starting from its junction with NH-10 near Melli connecting Manpur, Namchi, Damthang and terminating at Tarku on NH-510 in the State of Sikkim.
250	510	The highway starting from its junction with NH-10 near Singtham connecting Tarku, Ravangla, Legship and terminating at Gyalshing in the State of Sikkim.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-9)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot Note : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1089(E), dated 26th February, 2014.